[2012] 2 एस. सी. आर. 564

राजस्थान राज्य

बनाम

मोहन लाल और अन्य

(क्रिमिनल अपील संख्या– 316/2015)

23 मार्च, 2012

[टी. एस. ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860 की धारा. 148 , 302/149 , 323 , 324/149 और 325 – के तहत अभियोजन – ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि – उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा 302/149 में बरी करना और अन्य प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराना – अपील पर, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था की चोटें शरीर के गैर–महत्वपूर्ण हिस्सों पर प्रकृति में सामान्य थीं और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं – अभियोजन उचित संदेह से परे हत्या का आरोप स्थापित करने में विफल रहा– पहले ही काट ली गई अवधि की सजा भी उचित है।

उत्तरदाता/अभियुक्तगण पर आई.पी.सी. की धारा 148, 302/149, 323, 324/149 और 325 के तहत एक व्यक्ति की हत्या और दूसरे को चोट पहुँचाने का मुकदमा चलाया गया । ट्रायल कोर्ट ने सभी प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तो को आई.पी.सी. की धारा 148,323, 324/149 और 325 के तहत दोषी ठहराया और आई.पी.सी. की धारा 302/149 में बरी करते हुए कहा गया है कि चोटें शरीर के गैर–महत्वपूर्ण हिस्सों पर सामान्य प्रकृति की थीं और इस सामान्य प्रकृति की चोटे मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसलिए, वर्तमान अपील ।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1.1 उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि अभियोजन उचित संदेह से परे हत्या के आरोप को स्थापित करने में सक्षम नहीं था। उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा है कि (पीडब्लू–13) के बयान ने स्पष्ट रूप से किया था कि जो चोटें लगी थीं सभी साधारण प्रकृति के थे, जो शरीर के गैर–महत्वपूर्ण भागों पर थे।

इस बात का श्रेय देना भी मुश्किल हैं की अभियुक्तों की जानकारी द्वारा पहुंचाई गई चोटो से मौत होने की संभावना थी, जबकि उनकी प्रकृति सामान्य है। डॉक्टर ने भी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट Exh.P–21 में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि विचाराधीन चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त थीं। मामले को देखते हुए और अभियुक्तो के खिलाफ लगाए गए आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य सबूत के अभाव में, उन्हें हत्या का दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं था। [पैरा 6 और 8] [569–सी–ई]

1.2. ट्रायल कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मृतक की खोपड़ी के नीचे और खोपड़ी के मध्य भाग के अंदर रक्त के थक्कों की उपस्थिति पर बहुत अधिक भरोसा किया था की मौत सिर पर लगी चोटों के कारण हुई होगी जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग। ट्रायल कोर्ट यह नोट करने में विफल रही की डॉक्टर ने सिर के किसी भी हिस्से

पर कोई बाहरी चोट नहीं बताया था । यदि उत्तरदाता/अभियुक्तगण का वास्तव में मृतक की हत्या करने का इरादा था और यदि वे 'लाठी' और 'धारिया' जैसे हथियारों से लैस थे, जो की तेज धार वाले हथियार हैं, तो यह समझना मुश्किल है की उन्होंने शरीर के कोई भी महत्वपूर्ण अंग पर हमला क्यों नही किया होता। किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर किसी भी चोट की अनुपस्थिति और विशेष रूप से खोपड़ी पर बाहरी चोट की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है की आरोपी का मृतक की हत्या का इरादा नहीं था और न ही उसने कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाई, जिससे मौत होने की संभावना थी। [पैरा 7] [569–एफ–एच; 570–ए]

2. सजा के प्रश्न पर हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है। जिस घटना की बात हो रही है वह 12 साल से भी ज्यादा पुरानी है । उत्तरदाता/अभियुक्तगण को पहले ही चार साल की सजा भुगतनी पड़ी है, जो उन परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होनी चाहिए जिसमे कथित घटित होना प्रतीत होता हैं [पैरा 8] [570– सी–डी]

क्रिमिनल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की क्रिमिनल अपील संख्या 316

सन् 2001 की क्रिमिनल अपील संख्या 509 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर डिवीज़न बेंच के निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.12.2003.

अपीलकर्ता की ओर से अंसार अहमद चौधरी।

उत्तरदाता की ओर से वी.जे.फ्रांसिस, अनुपम मिश्रा।

न्यायालय के निर्णय सुनाया गया :– **जस्टिस, टी. एस. ठाकुर**, द्वारा.

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील राजस्थान के उच्च न्यायालय, जोधपुर बेंच द्वारा पारित 2 दिसंबर, 2003 के फैसले और आदेश की सत्यता पर सवाल उठाती है, जिसके तहत उत्तरदाताओं द्वारा अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सन् 2001 की क्रिमिनल अपील संख्या 509 दायर की गई थी जिसमे आई.पी.सी. की धारा 148, 302/149, 323, 324/149 और 325 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। और धारा 302/149 के तहत उत्तरदाता/अभियुक्तगण की सजा को रद्द करते हुए, शेष अपराध के लिए उनकी सजा की पुष्टि की गई है। इस निर्देश के साथ की उनके द्वारा पहले ही बिताई गई अवधि पर्याप्त होगी।

2. अभियुक्तों के विरुद्ध जिसके आधार पर आरोपपत्र दाखिल हुआ और मुकदमे तथा दोषसिद्धि के साथ– साथ उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील को जन्म देने वाले तथ्यो को उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे काफी विस्तार से निर्धारित किया गया हैं | इसलिए हमें इसे दोबारा गिनने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि यह अभियोजन मामले की उत्पत्ति और हमारे सामने की गई दलीलों को समझने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इतना कहना पर्याप्त है की शंभू लाल (पीडब्लू–1), पीरू (पीडब्लू–7) और लालू (मृतक) सभी सगे भाई और राजस्थान के सिवाना गांव के निवासी हैं। 23 जनवरी, 2000 को रात करीब 9.10 बजे जब अर्जुनशा घनवा के घर से वापस आ रहे थे, तब उन पर प्रतिवादी मोहन लाल, नाथू, सूरज मल, लक्ष्मण, कालू और बालू राम ने हमला कर दिया, जो कि सिवाना गांव के ही निवासी थे । अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी लाठियों और धारियाओं (स्काइथ्स) से लैस थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने मृतक और शंभू लाल (पीडब्लू–1) को चोट पहुंचाने के लिए खुलेआम किया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीरू (पीडब्लू–7) किसी तरह उत्तरदाता/अभियुक्तगण के चंगुल से भागने में कामयाब रहा और लगभग रात 11.30 बजे मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 323 और 341 मे दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया और आनन–फ़ानन में घटनास्थल पर जाकर

घायल शंभू और लालू को प्रतापगढ अस्पताल ले गए, जहां 24 जनवरी 2000 को सुबह लगभग 6.30 बजे लालू ने दम तोड़ दिया। तदनुसार पुलिस आई.पी.सी की धारा 302 के तहत एक आरोप और जोड़ा, जांच पूरी की और क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान दायर किया। उत्तरदाता/अभियुक्तगण प्रतापगढ़ सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध थे, सत्र न्यायाधीश ने मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) को सौंप दिया, जिनके समक्ष उत्तरदाता/अभियुक्तगण ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे लड़ने का दावा किया। अभियोजन पक्ष अपने मामले के समर्थन में मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सहित 17 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्तों ने मुकदमे में Exh.D–1 से D–6 अंकित करवाने के अलावा बचाव में वाजेराम से पूछताछ की।

3. ट्रायल कोर्ट अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। और सभी अभियुक्तगण को मृतक लालू की हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उन्हें आई.पी.सी. की धारा 323, 324 और 325 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक वर्ष से तीन वर्ष के बीच कारावास की सजा भी सुनाई गई और कुल 1500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने की स्थिति में सजा भी सुनाई गई।

4. सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की क्रिमिनल अपील संख्या 509 को दायर की , जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से अपील में दिए गए निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई है । उच्च न्यायालय अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के नए सिरे से मूल्यांकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष उत्तरदाता/अभियुक्तगण के खिलाफ आई.पी.सी की धारा 149 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत आरोप स्थापित करने में विफल रहा था। उच्च न्यायालय ने कहा :

> "वर्तमान मामले में डॉ.माथुर के बयान से, यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर पाई गई सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। तीन चोटें नुकीली वस्तु से मिलीं और अन्य खरोंचें थीं। ऐसा नहीं है इस विवाद में कि पीरू के शरीर पर पाई गई तीन चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और कुंद वस्तु से। घायल शंभू लाल को बाईं कलाई और दाहिने पैर पर कुंद वस्तु से दो गंभीर चोटें आईं और बाईं छोटी उंगली पर तेजधार वस्तु से एक साधारण चोट लगी।

5. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर उत्तरदाता/अभियुक्तगण को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है लेकिन शेष अपराधों के लिए उनकी सजा को बरकरार रखा है। सजा के सवाल पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि उत्तरदाता/अभियुक्तगण 24 जनवरी, 2000 से हिरासत में थे और तदनुसार उन्हें पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने कहा:

> "नतीजतन, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को आई.पी.सी की धारा 302/149 के तहत दंडनीय आरोप से बरी कर दिया जाता है। अन्य अपराधों के संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए अपराध के निष्कर्षों को बरकरार रखा गया है। जहां तक सजा का सवाल चिंतित करता है, अपीलकर्ता 24.1.2000 से हिरासत में हैं। कुल परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि मामले की परिस्थितियों में कारावास की जो सजा दी जाएगी वो पहले ही हो चुका है जो न्याय के लक्ष्य को पूरा करेगा। नतीजतन, अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को दी गई सजा को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि उन्हें पहले से ही भुगती गई सजा दी जाती है। विद्वान न्यायालय का निर्णय तदनुसार संशोधित माना जाएगा। अपील का निपटारा ऊपर बताए गए तरीके से किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यकता नहीं हुई तो अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा"|

6. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि अभियोजन उचित संदेह से परे हत्या के आरोप को स्थापित करने में सक्षम नहीं था। उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा है कि डॉ. नरेंद्र स्वरूप माथुर (पीडब्लू–13) के बयान ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया था कि मृतक को लगी सभी चोटें शरीर के गैर–महत्वपूर्ण हिस्सों पर लगी सामान्य प्रकृति की थीं। डॉक्टर ने भी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट Exh.P–21 में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था की विचाराधीन चोटें मौत का कारण बनने में पर्याप्त थीं। इस दृष्टिकोण से मामले में और उत्तरदाता/अभियुक्तगण के खिलाफ लगाए गए आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य सबूत के अभाव में, उन्हें हत्या का दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं था।

7. यह उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मृतक की खोपड़ी के नीचे और खोपड़ी के मध्य भाग के अंदर रक्त के थक्कों की उपस्थिति पर बहुत अधिक भरोसा किया था कि मौत सिर पर लगी चोटों के कारण हुई होगी जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ट्रायल कोर्ट स्पष्ट रूप से यह नोट करने में विफल रहा कि डॉक्टर द्वारा सिर के किसी भी हिस्से पर कोई बाहरी चोट नहीं बताई गई थी। यदि उत्तरदाता/अभियुक्तगण का वास्तव में मृतक की हत्या करने का इरादा था और यदि वे लाठी और धारिया जैसे हथियारों से लैस थे, जिनमें से तेज धार वाले हथियार हैं, तो यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने उसके शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर हमला क्यों नहीं किया होगा । शरीर किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर किसी चोट का न होना और विशेष रूप से खोपड़ी पर बाहरी चोट की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आरोपी का इरादा मृतक की हत्या का नहीं था और न ही कोई शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे मौत होने की संभावना थी।

8. इस बात का श्रेय देना भी मुश्किल हैं उत्तरदाता/अभियुक्तगण की जानकारी द्वारा पहुचाई गई चोटों से मृत्यु होने की संभावना थी, जबकि वह सामान्य प्रकृति की है। यहां तक कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी यह प्रमाणित नहीं किया कि चोटें सामान्य तौर पर मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं। सबूतों की ऐसी स्थिति होने पर, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता/अभियुक्तगण की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने और उन्हें हत्या के आरोप से बरी करने का निर्णय लिया, जबकि शेष अपराधों के लिए उनकी सजा बरकरार रखी, जिसके ल आरोप उनपर लगाए गए थे। सज़ा के प्रश्न पर भी हमें हस्तक्षेप करने का कोई बाध्यकारी कारण नज़र नहीं आता। जिस घटना की बात हो रही है वह 12 साल से भी ज्यादा पुरानी है. उत्तरदाता/अभियुक्तगण को पहले से ही चार साल की कैद का सामना करना पड़ा है, जो उन परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होना चाहिए जिनमें विचाराधीन घटना होना प्रतीत होता है।

9. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा अपील को खारिज कर दिया जाता है। **अपील खारिज.**

राहुल पटेल(अधिवक्ता)